



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1947 (श 0)

(सं 0 पटना 1786) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2025

सं 0 3ए-2-वे 0 पु 0-09 / 2016-12738 / वि 0
वित्त विभाग

संकल्प
15 दिसम्बर 2025

विषय :- दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं 0-2471/2023 में दिनांक- 11.04.2023 को पारित आदेश, नियंत्रक महालेखापरीक्षक, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या-7831, दिनांक-22.07.2024 के द्वारा "दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य किया गया।

(2) तदंतर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay)(Pt), दिनांक-20.05.2025 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

"...The matter has been examined in consultation with D/o Expenditure and D/o Legal Affairs. It is advised that in pursuance of the above referred Order dated 20.02.2025 of the Hon'ble Supreme Court, action may be taken to allow the increment on 1st July/1st January to the Central Government employees who retired/are retiring a day before it became due i.e. on 30th June / 31st December and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them. As specifically mentioned in the orders of the Hon'ble Supreme Court, grant of the notional increment on 1st January / 1st

July shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of other pensionary benefits."

(3) भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में संकल्प संख्या-7831, दिनांक-22.07.2024 की कंडिका-5 में वर्णित निर्णय कि दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि की अनुमान्यता मात्र पेंशन की गणना तक सीमित रखने की स्थिति उदभूत हो गई है।

(4) सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1786-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>